भारत सरकार | राज्य सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं० 2895

दिनांक 21 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीएसटी की वजह से निर्यातकों के सामने आए मुद्दे

2895. श्रीमती जया बच्चनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जीएसटी की वजह से निर्यातकों के समक्ष पेश आए मुद्दों को नोट किया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार ने मुद्दों का हल करने और निर्यात के पुनरुद्धार हेतु क्या–क्या कदम उठाए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) और (ख): जी हां, वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन का व्यापार और उद्योग क्षेत्र द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। तथापि प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां हुई हैं और सरकार ने निर्यातकों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर ध्यान दिया है। प्रमुख समस्याओं में जीएसटी के अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया के कारण कार्यशील पूंजी की रूकावट, रिटर्न फाइल करना, जॉब कार्य पर जीएसटी दर और एकीकृत जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का रिफंड, कतिपय मदों पर जीएसटी की उच्च दर तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य मुद्दे शामिल हैं। सरकार ने अक्तूबर, 2017 में निर्यातकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान किया है। सीमा शुल्क के अलावा आईजीएसटी के भुगतान के बिना विदेश से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम तथा शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिट स्कीम के तहत लाभ प्रदान किया गया। जीएसटी परिषद की दिनांक 10.03.2018 को सम्पन्न 26वीं बैठक में 01.10.2018 तक कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है। बंध पत्र/बैंक गारंटी की शर्त के बिना वचन पत्र (एलयूटी) प्रस्तुत करने पर निर्यात की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों (जो मूल रूप से निर्यात के लिए प्रोत्साहन है) की बिक्री पर जीएसटी को पूर्व के 12 प्रतिशत दर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। वस्त्र क्षेत्र, आभूषण क्षेत्र में हीरा प्रसंस्करण तथा चमड़ा और फूटवेयर क्षेत्रों में जॉब कार्य पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के रिफंड के शीघ्रता से संवितरण के लिए भी उपाय किए हैं तथा अनुदेश जारी किए हैं। इसके अलावा, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने, जीएसटी रिटर्न फाइल करना सरल बनाने, निर्यातकों के लिए एकीकृत जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड की प्रक्रिया को

आगे बढ़ाने सहित जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में उद्योग जगत की चिंताओं को दूर करने के लिए जीएसटी परिषद नियमित अंतराल पर बैठक कर रही है।

वर्तमान वर्ष के दौरान मासिक निर्यात अक्तूबर, 2017 को छोड़कर पिछले वर्ष के मासिक निर्यात से लगातार अधिक रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद (जुलाई, 2017–जनवरी, 2018 में) भारत के निर्यात की वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.3 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी लागू होने के पश्चात् मासिक निर्यात आंकड़े निम्नानुसार हैं:–

जीएसटी लागू होने के पश्चात् मासिक निर्यात (अमरीकी बिलियन डॉलर में)

	व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात			सेवा निर्यात			समग्र निर्यात		
माह	2016-17	2017-18	प्रतिशत बदलाव	2016-17	2017-18	प्रतिशत बदलाव	2016-17	2017-18	प्रतिशत बदलाव
जुलाई	21.69	22.35	3.0	12.78	13.18	3.2	34.47	35.53	3.1
अगस्त	21.60	23.52	8.9	13.38	13.70	2.4	34.98	37.22	6.4
सितम्बर	22.77	28.73	26.2	13.77	13.73	-0.3	36.54	42.46	16.2
अक्तूबर	23.36	22.82	-2.3	13.11	14.15	7.9	36.47	36.97	1.4
नवम्बर	20.07	25.92	29.2	13.34	15.39	15.4	33.40	41.32	23.7
दिसम्बर	24.06	27.07	12.5	13.80	16.01	15.9	37.86	43.07	13.8
जनवरी	22.36	24.96	11.6	13.57	16.34	20.4	35.93	41.30	14.9
कुल	**155.90**	**175.36**	**12.5**	**93.75**	**102.50**	**9.3**	**249.65**	**277.86**	**11.3**
